पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-05/2023- 2446 /वि०स०, पटना, दिनांक- 04/07/23 ई० ।

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का अष्टम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 27 फरवरी, 2023 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । अष्टम सत्र में कार्यक्रमानुसार कुल बाईस बैठकें निर्धारित थी, परन्तु बीस (20) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्तमान सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विमर्श, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के व्यवस्थापन के अलावा अन्य वित्तीय कार्य, राजकीय विधेयक ओर गैर सरकारी संकल्प लिये जाएंगे ।

माननीय सदस्यगण, 17वीं बिहार विधान सभा का लगभग आधा सफर हमलोग तय कर चुके हैं, शेष बची अवधि में हम सब एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस जगह से राज्य की सभी जनता का हित साधा जाय । इस सत्र में कई महत्पपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी । यह बजट सत्र है इसलिए हमलोग सबसे अधिक बजट की बारीकियों पर विमर्श करेंगे और आने वाले वर्ष के लिए जो नीति हम बना रहे हैं उसकी समीक्षा कर उस पर अपना मत प्रदान करने का कार्य करेंगे । हमें इस सत्र में समय की मूल्यवान भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें ।

माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबों से आग्रह है कि सत्र के दौरान लोक महत्व के विषयों एवं प्रश्नों पर सार्थक चर्चा करें । लोकतंत्र में विचार-विमर्श से ही फलाफल निकलता है । शोरगुल से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना या संख्या बल से शक्ति दवाव दिखाना दोनों लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है । इसलिए सदन में स्वस्थ वातावरण बनाये रखने का प्रयास करें । मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में हम शांतिपूर्ण ढंग से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सार्थक हल ढूंढने का प्रयास करेंगे । आप सबों से अनुरोध है कि इस सत्र में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाये रखें । मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग निरंतर प्राप्त होगा ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2023 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को बिहार विधान मंडल के सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 27 फरवरी, 2023 को सम्बोधित किया गया । श्री भूदेव चौधरी, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री रामविलास कामत, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 28 फरवरी एवं 01 मार्च, 2023 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव पारित किया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 27 फरवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित छ: (06) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

(2) बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022

(3) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022

(4) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022

(5) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022

(6) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

वित्तीय कार्य

दिनांक 28 फरवरी, 2023 को वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 02 एवं 03 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2023-2024 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 09 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा नौ अनुदानों की मांगे सदन में विमर्श के उपरान्त पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 दिनांक 27 मार्च, 2023 को पारित हुआ ।

दिनांक 02 मार्च, 2023 को वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 06 मार्च, 2023 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात् सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2023 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
4. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
5. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत् बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव,

सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 का हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
8. कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34(2)(प) के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर का वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
9. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गयी ।
10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।''
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के जेन्डर बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
13. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2023
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023
3. बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023
4. आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023

याचिका

इस सत्र में कुल 424 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 399 स्वीकृत हुए तथा 25 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 822 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 799 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 23 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 4646 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 3888 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 94 अल्पसूचित, 3259 तारांकित एवं 535 अतारांकित थे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 370 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 38 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 320 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 12 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में दिनांक-31/03/2023 के लिए कुल 152 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए तथा सभी 152 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 113 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 08 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 01 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये तथा 30 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

दिनांक-05/04/2023 के लिए कुल 140 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए, जिनमें से 136 सूचनाएँ स्वीकृत हुए एवं 04 सूचनाएँ अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की 136 सूचनाओं को सदन द्वारा गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति को सुपुर्द कर दिया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय डॉ॰ दाउद अली, पूर्व स॰वि॰स॰
2. स्वर्गीय हेमेन्द्र प्रताप, पूर्व स॰वि॰स॰
3. स्वर्गीय केशरी नाथ त्रिपाठी, पूर्व राज्यपाल, बिहार
4. स्वर्गीय शरद यादव, पूर्व सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री
5. स्वर्गीय डॉ॰ रामकृपाल सिन्हा, पूर्व स॰वि॰प॰ एवं पूर्व सांसद
6. स्वर्गीय हरिशंकर प्रसाद यादव, पूर्व स॰वि॰स॰
7. स्वर्गीय प्रो॰ सिद्देश्वर प्रसाद, पूर्व स॰वि॰प॰ एवं पूर्व सांसद
8. स्वर्गीय संजीव कुमार झा, पूर्व स॰वि॰स॰
9. स्वर्गीय बुद्धन प्रसाद यादव, पूर्व स॰वि॰स॰
10. स्वर्गीय रामायण मांझी, पूर्व स॰वि॰स॰
11. स्वर्गीय रंजीत सिंह, पूर्व स॰वि॰स॰ एवं पूर्व सांसद
12. स्वर्गीय नीरज कुमार, पूर्व स॰वि॰स॰

दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी
26/6/23

सेवा में,

....

....

....

(पवन कुमार पाण्डेय)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।